भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1223
(03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

1223. श्री मलैयारासन डी.:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) तमिलनाडु के कल्लाकुरिची निर्वाचन क्षेत्र में अब तक निर्मित और उन्नत की गई सड़कों का ब्यौरा क्या है और उनकी कुल संख्या कितनी है;

(ग) तमिलनाडु में विगत वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई कुल निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) विशेष रूप से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के कार्यान्वयन में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है; और

(च) क्या सरकार की आगामी वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यक्षेत्र का और विस्तार करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): पीएमजीएसवाई के विभिन्न जारी कार्यक्रमों/घटकों के अंतर्गत कुल 8,28,533 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई है जिसमें से 7,68,879 किलोमीटर सड़क पहले ही पूरी हो चुकी है और 42,226 किलोमीटर सड़क का कार्य निष्पादन के विभिन्न चरणों में है।
पीएमजीएसवाई के तहत आरंभ से लेकर दिनांक 27.11.2024 तक कार्यक्रम/घटक-वार वास्तविक उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

(सड़क की लंबाई किलोमीटर में)

कार्यक्रम का नाम/घटक	स्वीकृत	पूरे किए गए	शेष*
पीएमजीएसवाई-I	6,44,872	6,24,561	4,552
पीएमजीएसवाई-II	49,795	49,022	232
आरसीपीएलडब्ल्यूईए	12,228	9,296	2,833
पीएमजीएसवाई-III	1,21,638	86,000	34,609
कुल	**8,28,533**	**7,68,879**	**42,226**

**शेष सड़क लंबाई स्वीकृत और पूरी की गई लंबाई के अंतर से कम है क्योंकि कुछ परियोजनाएं सड़क की लंबाई में कमी , संरेखण में परिवर्तन, अन्य एजेंसियों द्वारा आंशिक लंबाई के निर्माण आदि के कारण स्वीकृत लंबाई से कम लंबाई में पूरी हो गई थी।*

(ख): तमिलनाडु के कल्लाकुरिची निर्वाचन क्षेत्र में 678 किलोमीटर लंबी कुल 237 सड़कों और 11 पुलों को मंजूरी दी गई है , जिनमें से पीएमजीएसवाई के विभिन्न जारी कार्यक्रमों/घटकों के तहत 583 किलोमीटर लंबाई की 216 सड़कों और 7 पुलों का निर्माण और उन्नयन पहले ही किया जा चुका है और 81 किलोमीटर लंबाई की 21 सड़कों और 4 पुलों का कार्य निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। कार्यक्रम/घटक-वार ब्यौरा कार्यक्रम की वेबसाइट www.omms.nic.in > Progress Monitoring > State Abstract Report पर देखा जा सकता है।

(ग): पिछले वित्त वर्ष के दौरान राज्य के लिए 2,869 किलोमीटर लंबी कुल 660 सड़कों और 28 पुलों को मंजूरी दी गई है , जिनमें से पीएमजीएसवाई के विभिन्न जारी कार्यक्रमों/घटकों के तहत 776.75 करोड़ रूपए के व्यय से 985 किलोमीटर लंबी 203 सड़कों और 2 पुलों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य को आवंटित/जारी की गई कुल निधियां 411.363 करोड़ रुपए थीं।

(घ): 'ग्रामीण सड़कें' राज्य का विषय है और पीएमजीएसवाई सड़कों को समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। पीएमजीएसवाई कार्यों को समय पर पूरा करने में राज्यों को बजटीय सहायता की नियमित और पर्याप्त उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को विभिन्न क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों और अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों के माध्यम से पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं–

i. राज्यों से निष्पादन क्षमता और संविदा क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया गया है और इस संबंध में उनके अनुपालन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

ii. बोली दस्तावेज प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया है।

iii. क्षमता निर्माण के लिए फील्ड इंजीनियरों और ठेकेदारों के साथ-साथ उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

iv. उस जोन के राज्यों के समूह के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर भौतिक और वित्तीय मापदंडों की नियमित और संरचित समीक्षा की जाती है।

(ङ.): इस योजना को लागू करते समय, भूमि अधिग्रहण, वन विभाग की मंजूरी, राज्यों की खराब संविदा क्षमता, निविदाओं के प्रति प्रतिक्रिया की कमी, कानून और व्यवस्था के मुद्दे, निधि जारी करने के लिए राज्यों की वित्तीय क्षमता, राज्यों की निष्पादन क्षमता जैसी चुनौतियां सामने आईं, जिससे कुछ क्षेत्रों में योजना की समग्र प्रगति प्रभावित हुई।

(च): भारत सरकार ने सितंबर 2024 में पीएमजीएसवाई के चरण IV को मंजूरी दी है, ताकि 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी इलाकों में 500+, पूर्वोत्तर (एनई) और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष श्रेणी क्षेत्रों (आदिवासी अनुसूची V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र) में 250+ और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 100+ आबादी वाली सड़क सम्पर्क रहित 25,000 बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना का कुल परिव्यय 70,125 करोड़ रुपये है और योजना की समय-सीमा वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक है।

******